

**सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन
राज्य शासन के अन्य विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय एवं
जनसंपर्क विभाग को छोड़कर), निगम, मंडल एवं
अर्द्धशासकीय संस्थाओं के
सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन हेतु दर निर्धारण एवं
एजेंसियों के इम्पैनलमेंट बाबत
ऑनलाईन निविदा आमंत्रण**

निविदा सूचना क्रं.T202128001/छ.ग.सं./सोश.मी./2021 नवा रायपुर, दिनांक 26.11.2021
// निर्धारित तिथि //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 590 /- (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 25,000 /- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्रि-बिड	दिनांक 09 / 12 / 2021 समय दोपहर 2:00 बजे को (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)
निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 28 / 12 / 2021 समय अपरान्ह 2:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28 / 12 / 2021 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक
ऑनलाईन जमा तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि	दिनांक 28 / 12 / 2021 समय सायं 5:00 बजे से
कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण	दस्तावेज में योग्य पाये गए फर्मों को कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि	प्रस्तुतिकरण पश्चात निर्धारित अंकों में से कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले फर्मों को फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि एवं समय पृथक से सूचित किया जाएगा।



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

फोन नं. 0771-2512508

Web :- <http://samvad.cg.nic.in/>, Email :- cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.

फोन नं. 0771-2512508

राज्य शासन के अन्य विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनसंपर्क विभाग को छोड़कर), निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन हेतु दर निर्धारण एवं एजेंसियों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन आमंत्रित निविदा की नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।
2. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :- किसी एक विभाग/कार्यालय (मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनसंपर्क विभाग को छोड़कर) के सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन—
किसी एक विभाग/कार्यालय (मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनसंपर्क विभाग को छोड़कर) के सोशल मीडिया—फेसबुक, ट्विटर, एकाउन्ट संधारण एवं संचालन, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स एवं क्रिएटिव पोस्ट करना।
छत्तीसगढ़ संवाद एवं संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारियों के निर्देश पर एकाउन्ट संधारण एवं संचालन का कार्य।
3. इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम वांछनीय शर्तें:-
निविदाकर्ता फर्म को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :-
 - (1) पैन कार्ड की प्रति।
 - (2) Assessment Year 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न की प्रति।
 - (3) Financial Year 2019-20 एवं 2020-21 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। दो वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 50 हजार होना अनिवार्य है। फर्म को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में औसतन कम से कम रु. 50 हजार का सोशल मीडिया कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (4) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 590/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 25,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	:	Chhattisgarh Samvad
Bank Name	:	Axis Bank Ltd.
Branch Name	:	Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No.	:	139010100021669
IFSC Code No.	:	UTIB0000139

- (5) उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र में उल्लेखित कार्यों के संपादन संबंधी कार्यादेश की प्रतियां/कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र अथवा भुगतान प्राप्ति की साक्ष्य की प्रतियां।
- (6) निर्धारित प्रारूप में रु. 50/- का स्टाम्प पेपर में यह शपथ-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित फर्म किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, टेक्निकल बिड में प्रस्तुत सभी अभिलेख पूर्णतः सही हैं और सत्यापन के समय कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
- (7) फर्म/आवेदक को बायोडाटा एवं संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ऑनलाईन जमा करना है। निविदाकार को कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4. अन्य सामान्य शर्तें:-

- (1) निविदाकर्ता फर्म को टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा करना होगा।
- (2) यह निविदा दर लागू होने की तिथि से आगामी दो वर्ष के लिए लागू रहेगी। कार्य संतोष जनक पाए जाने पर अनुबंध अवधि में अनुबंधित शर्त एवं दर पर नवीन निविदा अनुमोदन तक अथवा अधिकतम एक वर्ष वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
- (3) यह निविदा मात्र दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित है। निविदा दर व्यावहारिक नहीं होने पर मान्य करना अनिवार्य नहीं है। दर निर्धारण का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा। इम्पैनलड फर्मों को आवश्यकतानुसार कार्य आबंटन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
- (4) टेक्निकल बिड एवं प्रस्तुतिकरण पश्चात निविदा शर्त अनुसार टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं फाईनेन्शियल बिड में प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) पर सहमत फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
- (5) अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने, संबंधित विभाग के निर्देशानुसार कार्य संपादित नहीं करने पर कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का होगा।
- (6) इम्पैनलड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद के साथ निर्धारित प्रारूप में रु. 50/- के स्टॉप पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित करवाना होगा।
- (7) ऑनलाईन जमा टेक्निकल बिड में कोई प्रपत्र त्रुटिपूर्ण होने अथवा वांछित दस्तावेज न पाए जाने की स्थिति में निविदा अमान्य की जाएगी।
- (8) टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा करने की नियत तिथि 28/12/2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्धारित है।
- (9) निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
- (10) निविदाकार द्वारा इस निविदा में दर्शित प्रि-बिड बैठक तिथि के अधिकतम दो दिवस पूर्व प्रि-बिड क्वेरी (MS Excel फॉर्मेट में) ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित किए जाने पर ही कार्यालय द्वारा उक्त प्रि-बिड क्वेरी पर विचार किया जाएगा।

- (11) निविदा प्रपत्र जमा करने का आशय यह होगा कि फर्म/आवेदक फर्मों को निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
- (12) चयनित फर्मों द्वारा किए गए सभी कार्य, डाटा, स्क्रिप्ट एवं अन्य सामग्रियों का स्वामित्व संबंधित विभाग का होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कन्टेंट के अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग तथा संतुष्टिपत्र जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
- (13) इम्पैनलड फर्मों के गंभीर त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म/आवेदक द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात की जाएगी एवं एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।
- (14) राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से छत्तीसगढ़ संवाद को कार्यादेश प्राप्त होने पर इम्पैनलड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद से कार्यादेश जारी किया जायेगा।
- (15) इम्पैनलड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद से जारी कार्यादेश, सम्पादित एवं अनुमोदित कार्यों के देयक का भुगतान किया जायेगा। छत्तीसगढ़ संवाद से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित फर्मों के देयकों का भुगतान किया जायेगा।
- (16) फर्म/आवेदक यदि किसी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं या कोई अपराधिक रिकार्ड पाया गया है तो उनकी निविदा अमान्य किया जाएगा। निविदा अवधि के दौरान कभी भी यदि इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई तो भी बाद में पैनल से नाम खारीज कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- (17) इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य आबंटन की प्रतिबद्धता नहीं है विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार संवाद से इम्पैनलड फर्मों को कार्यादेश जारी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

5. आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-

किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

6. इम्पैनलमेंट हेतु चयन की प्रक्रिया :-

- (1) फर्म/आवेदकों द्वारा टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा।
- (2) टेक्निकल बिड में निविदा शर्त अनुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले फर्म/आवेदकों को पृथक से कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण (PPT) हेतु सूचित किया जाएगा।
- (3) फर्मों द्वारा प्रस्तुतिकरण पश्चात् निविदा में निर्धारित अंकों के आधार पर अंक आबंटित किया जाएगा। PPT के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण के आधार पर अंक आबंटन का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- (4) प्रस्तुतिकरण पश्चात् निर्धारित कुल 70 अंकों में से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले वाले फर्मों/आवेदकों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं फाईनेन्शियल बिड में प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1 दर) पर सहमत फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।

(5) निर्धारित अंक :-

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
1	सोशल मीडिया संचालन एवं प्रबंधन का कार्य अनुभव (कार्यादेश, नियोक्ता फर्मों द्वारा जारी कार्य संपादन प्रमाण-पत्र साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने पर)– 1. टर्नओवर– अंक 10 वित्तीय वर्ष 2019–20 अथवा 2020–21 में वार्षिक टर्नओवर:– कुल रु. 1 लाख के टर्नओवर तक – 05 अंक। कुल रु. 1 लाख से 3 लाख तक – 07 अंक। कुल रु. 3 लाख से अधिक होने पर – 10 अंक (साक्ष्य हेतु सोशल मीडिया संचालन एवं प्रबंधन संबंधी सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र ऑनलाईन जमा करना होगा) 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/पीएसयू में कार्य अनुभव– अंक 15 (साक्ष्य हेतु संबंधित विभाग से जारी कार्यादेश की प्रति ऑनलाईन जमा करना होगा।) 3. अन्य/निजी संस्थाओं का कार्य अनुभव– अंक 05 (साक्ष्य हेतु अन्य संस्थाओं/निजी संस्थाओं से जारी कार्यादेश अथवा संबंधित संस्था को फर्म अथवा निविदाकार द्वारा जारी देयक की प्रति ऑनलाईन जमा करना होगा।)	30
2	संस्था के पास उपलब्ध Key-Person के योग्यता एवं अनुभव 1. कन्टेंट राइटर – अंक 10 2. डिजाइनर– अंक 10 (साक्ष्य हेतु योग्यता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र ऑनलाईन जमा करना होगा। कन्टेंट राइटर एवं डिजाइनर के पे-रोल में होने की स्थिति में पे-स्लिप अथवा अनुबंध में होने पर निष्पादित सेवा अनुबंध की छायाप्रतियां ऑनलाईन जमा करना होगा। एक Key-Person को उक्त दोनों में से एक ही का अंक प्रदान किया जाएगा।)	20
3	उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तुतिकरण (PPT) के आधार पर (प्रस्तुतिकरण के आधार पर अंक आबंटन का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।)	20
कुल अंक–		70

7. टेक्निकल बिड दस्तावेजों एवं प्रस्तुतिकरण पश्चात उक्त निर्धारित अंकों में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले फर्म/आवेदक को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. निविदा कर्ता फर्म को टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> में ऑनलाईन जमा करना होगा।

9. उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
अटल नगर, जिला-रायपुर

ऑनलाईन टेक्निकल बिड जमा करने हेतु प्रारूप

टेक्निकल बिड हेतु निम्नलिखित दस्तावेज क्रमवार ऑनलाईन जमा किया जाना है :-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	फर्म/आवेदक /संस्था का नाम	
2	पैन क्रमांक.....(छायाप्रति संलग्न)	
3	जीएसटी पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न) जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में/जीएसटी पंजीयन अनिवार्य नहीं है।	
4	फर्म/आवेदक का पूर्ण पता दूरभाष/ मोबाईल नंबर E-mail ID – (पंजीकृत कार्यालय/ब्रांच कार्यालय एवं अन्य जानकारीयां पृथक पृष्ठ में संलग्न)	
5	निविदा फार्म लागत शुल्क रु. 590/- का छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाते में जमा करने के पश्चात प्राप्त पावती/साक्ष्य की प्रति।	
6	अमानत राशि रु. 25,000/- का छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाते में जमा करने के पश्चात प्राप्त पावती/साक्ष्य की प्रति।	
7	फर्म/आवेदक का Assessment Year 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न की प्रतियां।	
8	निविदा प्रपत्र के बिन्दु क्र. (2) के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र में उल्लेखित कार्यों के संपादन संबंधी कार्यादेश की प्रतियां/ कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र अथवा भुगतान प्राप्ति की सत्यापित प्रतियां।	
9	संस्था में भागीदार या सेवारत विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों की सूची एवं बायोडाटा (पृथक-पृथक पृष्ठ में) एवं अनुभव प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां।	
10	कन्टेंट राइटर एवं डिजाइनर के पे-रोल में होने की स्थिति में पे-स्लिप अथवा अनुबंध में होने पर निष्पादित सेवा अनुबंध की छायाप्रतियां।	
11	सोशल मीडिया संचालन एवं प्रबंधन संबंधी सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र में उक्त कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है।	
12	शासकीय/अर्द्धशासकीय/पीएसयू/अन्य संस्थाओं/निजी संस्थाओं से जारी कार्यादेश अथवा संबंधित संस्था को फर्म अथवा निविदाकार द्वारा जारी देयक की प्रतियां।	
13	निर्धारित प्रारूप में (रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में) शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज- (विवरणवार पृथक से सूचीबद्ध एवं पेज नम्बरिंग कर प्रस्तुत कर सकते हैं)	

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर के साथ)

शपथ पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी—छग संवाद द्वारा जारी निर्धारित नियम एवं शर्त तथा अनुबंध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि जब विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर मेरी संस्था का प्रजेन्टेशन किया जायेगा, उस समय मैं समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी संस्था का प्रजेन्टेशन कराउंगा/कराउंगी। प्रजेन्टेशन उपरांत समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा। इसके साथ ही मैं किसी प्रकार के व्यय का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

यह कि हमारी संस्था—या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान —————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.

फोन नं. 0771-2512585

वित्तीय निविदा प्रस्ताव

(ऑनलाईन जमा किया जाना है)

राज्य शासन के अन्य विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त), निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन

क्र.	विवरण	प्रतिमाह निविदा दर (जीएसटी अतिरिक्त)
1	किसी एक विभाग/कार्यालय के सोशल मीडिया-फेसबुक, ट्विटर, एकाउन्ट संधारण एवं संचालन (स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स एवं क्रिएटिव आदि के साथ) की मासिक दर	

(फर्म/आवेदक का जीएसटी पंजीयन अनिवार्य नहीं है। जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन जमा करना होगा)

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर